

भाग 4 (ग)

ज़प–रवण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य—प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 12, 2017

जी.एस.आर.8 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 148 का संशोधन.— राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 148 के उप—नियम(1) के अन्तिम परन्तुक में, विद्यमांन अभिव्यक्ति ''राजस्व अभियान या प्रशासन गांव के संग अभियान के समय'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राजस्व अभियान या प्रशासन गांव के संग अभियान या भूमि के विक्रय और पट्टा वितरण के लिए राज्य सरकार के आदेश द्वारा आयोजित किसी अन्य अभियान के समय'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. प्ररूप 22 का संशोधन.— उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 22 के विद्यमान टिप्पण में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''राजस्व अभियान या प्रशासन गांव के संग अभियान के समय'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राजस्व अभियान या प्रशासन गांव के संग अभियान या भूमि के विक्रय और पटटा राजस्थान राज–पत्र, अप्रेल 12, 2017 भाग 4 (ग)

वितरण के लिए राज्य सरकार के आदेश द्वारा आयोजित किसी अन्य अभियान के समय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ.4(7) अमे/ रूल्स / लीगल / पी.आर. / 2017 / 289]

राज्यपाल के आदेश से, ललित कुमार, उप शासन सचिव।

## DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ (PANCHAYATI RAJ) NOTIFICATION Jaipur, April 12, 2017

G.S.R.8. - In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Amendment of rule 148.- In the last proviso to subrule(1) of rule 148 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "during the Rajasv abhiyan or Prashasan Gaon ke sang abhiyan", the expression "during the Rajasv abhiyan or Prashasan Gaon ke sang abhiyan or any other abhiyan organised by order of the State Government for sale of land and Patta Vitran ", shall be substituted.

3. Amendment of form XXII.- In the existing Note of form XXII appended to the said rules, for the existing expression "during the Rajasv abhiyan or Prashasan Gaon ke sang abhiyan", the expression "during the Rajasv abhiyan or Prashasan Gaon ke

7(2)

## भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 12, 2017

sang abhiyan or any other abhiyan organised by order of the State Government for sale of land and Patta Vitran ", shall be substituted.

[No. F4(7) AM/Rule/Legal/PR/2017/289]

By Order of the Governor, Lalit Kumar, Deputy Secretary to Government.

## Government Central Press, Jaipur.

7(3)